राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर

No. RMSC/मु.पत्रा/2011/248 Date 3-09-2011

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2011–12 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के सभी राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयाँ 2 अक्टूबर, 2011 से निशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु निम्न आदेश प्रदान किये जाते है।

योजना के सफल कियान्वयन हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं उनसे सम्बन्धित चिकित्सालयों हेतु सम्भागीय आयुक्त की अध्यक्षता में निम्नानुसार मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है :–

- सम्भागीय आयुक्त (अध्यक्ष)
- जिला कलेक्टर (उपाध्यक्ष)
- प्रिन्सीपल व कन्ट्रोलर मेडिकल कॉलेज
- अस्पताल अधीक्षक सम्बन्धित अस्पताल
- उपअधीक्षक सम्बन्धित अस्पताल
- एक्स ई.एन., एन.आर.एच.एम./आर.एच.एस.डी.पी.
- उप/सहायक रजिस्टार, कोपरेटिव
- जी.एम. भण्डार
- सहायक औषधि नियन्त्रक/औषधि नियन्त्रक अधिकारी
- जिला परियोजना समन्वयक, आर.एच.एस.डी.पी. (सदस्य सचिव)

जो समय–समय पर बैठक कर मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों एवं सम्बन्धित चिकित्सालयों में औषधि भण्डार एवं दवा वितरण केन्द्रों के कार्यो की प्रगति एवं उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

योजना की कियान्वति की प्रगति की मासिक समीक्षा प्रिन्सीपल मेडिकल कॉलेज व अधीक्षक सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा भी की जावेगी तथा प्रगति रिपोर्ट सम्भागीय आयुक्त को समीक्षा हेतु प्रस्तुत की जावेगी साथ प्रबन्ध निदेशक आर.एम.एस.सी. को नियमित रूप से भिजवाया जानाा सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
3. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
7. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियत्रक/अधीक्षक, मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं
प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.